डॉ0 श्री संजीव कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–1/208/7 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– (क) क्या यह सही है कि नेपाल से आने वाली कोशी नदी में अत्यधिक गाद के कारण नियमित बाढ़ आपदा से तटबंध की मरम्मती और उसके रख रखाव तथा निर्माण पर अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर बिहार आवर्ती बाढ़ से प्रभावित रहता है। बाढ़ से सुरक्षा हेतु संरचनाओं के उपायों के तहत् कोशी नदी पर 474.14 कि0मी0 की लम्बाई में तटबंध का निर्माण किया गया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि अपरदन के कारण कोशी नदी में गाद आती है। कोशी उच्च स्तरीय समिति/राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की अनुशंसा के आलोक में आवश्यकतानुसर कटाव निरोधक कार्य अन्तर्गत सुरक्षात्मक कार्य कराकर तटबंध एवं उससे संबंधित संरचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है।
(ख) क्या यह सही है कि उक्त आपदा के कारण सरकार को बाढ़ से प्रभावित एवं पीड़ितों को मुआवजा देने में भी अरबों रुपये खर्च होता है और लाखों लोगों को इसके कारण विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है;	यह आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है।
(ग) क्या यह सही है कि पुराने बराज की क्षमता पर भरोसा पर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी आयु तकनीकी रूप से समाप्त हो चुकी है;	कोशी बराज का निर्माण वर्ष 1963 में किया गया था। बराज संरचना एवं इसके अवयवों का जीवन काल 50 वर्ष से अधिक लम्बा माना जाता है। इस वर्ष आयी अप्रत्याशित जलश्राव के मद्देनजर अभियंताओ द्वारा बराज का निरीक्षण किया गया है। वर्तमान में कोशी बराज ठीक ढंग से क्रियाशील है। बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 को ध्यान में रखते हुए कोशी बराज एवं इसके अवयवों के हेल्थ स्टेटस की जाँच हेतु सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।
(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बाढ़ त्रासदी को रोकने हेतु लोकहित में "गाद प्रबंधन नीति" लाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जल संसाधन विभाग द्वारा "राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति" तैयार करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। व्यापक गाद प्रबंधन नीति पर विमर्श हेतु पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक के कार्यावली में सम्मलित किया गया है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(वी0)–06–29/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को तारांकित प्रश्न सं0–1/208/7 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(वी0)–06–29/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(वी0)–06–29/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–25/वि0प0प्र0(वी0)–06–29/2024– 122 /पटना, दिनांक– 10/01/25

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.1.25
(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

8/1/25

Desktop-R.M.F./2025/ Sec-25/memo